समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये
किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो
तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540,2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर–452001

क्रमांक– प्रशा./तीन (01)/2019/972 दिनांक :– 11 JAN 2019

प्रति,
कार्य परिषद् के सम्माननीय सदस्यगण
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

विषय : कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 27.12.2018 के कार्य विवरण ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 27.12.2018 के कार्य विवरण की एक प्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है । आपसे विनम्र निवेदन है कि कार्य विवरण पर यदि कोई टीका हो तो सात दिन में सूचित करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

संलग्न : यथोपरि ।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.12.2018 को पूर्वान्ह 11:30 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष, नालंदा परिसर, आर.एन.टी. मार्ग इन्दौर में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

1.	डॉ. एन.के. धाकड़, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री आलोक डावर	सदस्य
3.	श्रीमती गीता मरकाम	सदस्य
4.	श्री एस.के. परमार (प्रतिनिधि वित्त विभाग म.प्र.शासन)	सदस्य
5.	डॉ. आर.एस. चौहान (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग)	सदस्य
6.	डॉ. एच.एल. अनिजवाल	सदस्य
7.	डॉ. विजय बाबू गुप्ता	सदस्य
8.	डॉ. के. हजेला	सदस्य
9.	डॉ. अशोक कुमार शर्मा	सदस्य
10.	डॉ. ए.व्ही. बजाज	सदस्य
11.	डॉ. रेखा आचार्य	सदस्य
12.	डॉ. कुसुमलता निगवाल	सदस्य
13.	श्री अजय वर्मा प्रभारी कुलसचिव	सचिव

बैठक में निम्नांकित सदस्य अनुपस्थित थे :

1. डॉ. आर.के. माथुर
2. डॉ. (श्रीमती) रागिनी मक्खर
3. डॉ. सुमित्रा वास्केल
4. प्रोफेसर मोहनलाल छीपा
5. डॉ. प्रकाश सी. बरतूनिया

बैठक का प्रारंभ विश्वविद्यालय के कुलगीत से किया गया।

माननीय कुलपतिजी द्वारा समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया। स्वागत के अनुक्रम में संकायाध्यक्ष की श्रेणी से नव–मनोनीत कार्यपरिषद सदस्या डॉ (श्रीमती) रेखा आचार्य का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

तदुपरांत माननीय अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

कार्य–वृत्त

विषय क्रं.1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 4.10.2018 के कार्य–विवरण की संपुष्टि विषयक।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 4.10.2018 के कार्य–विवरण का अवलोकन करते हुए कार्य–विवरण की संपुष्टि की गई।

(कार्यवाही : प्रशासन एवं स्थापना विभाग)

विषय क्रं.2 कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 4.10.2018 में लिये गये निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन पटल पर प्रस्तुत किया जावेगा।

परिषद द्वारा कार्य–परिषद की बैठक दिनांक 4.10.2018 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही ग्राह्य की गई।

(कार्यवाही : प्रशासन एवं संबंधित विभाग)

विषय क्रं.3. विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 23.10.2018, 15.11.2018 एवं 18.12.2018 के कार्य विवरणों पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थाई समिति की उपरोक्तानुसार बैठकों के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरान्त निर्णय लिया कि विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठकों दिनांक 23.10.2018, 15.11.2018 एवं 18.12.2018 की अनुशंसाएं मान्य की जाए।

(कार्यवाही : शैक्षणिक विभाग)

विषय क्रं.4 वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.12.2018 के कार्य विवरणों पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.12.2018 के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरान्त निर्णय लिया कि वित्त समिति दिनांक 24.12.2018 की बैठक के विषय क्रमांक 2,3,8,11,12,13 की अनुशंसाएं में निम्न सुझावों/संशोधनों के साथ मान्य की जाए तथा, वित्त समिति के विषय क्रमांक 1,4,5 6,7,9,10, मान्य किया जाता है।

(1) वित्त समिति के कार्य–विवरण में सदस्यों के नामों के क्रम में बिन्दु क्रमांक 02 पर दर्शित डॉ. एन.के. चतुर्वेदी के स्थान पर डॉ. के.एन. चतुर्वेदी लिखा जाए।

(2) <u>वित्त समिति के विषय क्रमांक 02</u> दीक्षांत समारोह के आयोजन में विभिन्न मदों में अनुमानित व्यय राशि रुपए 20.00 लाख के स्थान पर राशि रुपए 15.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाती है, इससे अधिक का व्यय होता है तो आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(3) <u>वित्त समिति के विषय क्रमांक 03</u> में वर्ष 2019–20 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा संबंधी समस्त कार्य ऑनलाईन किये जाने के संबंध में टेण्डर आमंत्रित करते हुए शर्तो आदि का प्रपत्र तैयार करते हुए शपथ–पत्र प्राप्त किया जाए।

(4) <u>वित्त समिति के विषय क्रमांक 08</u> में विश्वविद्यालय में परीक्षा तथा अन्य एकेडमिक ऑटोमेशन कार्य हेतु ERP Solution (IUMS) की सेवा लेने हेतु प्रस्ताव के संबंध में शार्ट टर्म टेण्डर निकाले जाए। इसके साथ ही लेखा की टीप : में (CSR) के स्थान पर (SCR) संशोधित किया जाए।

(5) <u>वित्त समिति के विषय क्रमांक 11</u> एल्युमिनी फीस प्रवेश के समय लेने की स्वीकृति विषयक चर्चा के दौरान माननीय कार्यपरिषद सदस्य डॉ. रवि वर्माजी एवं श्री आलोक डावर जी ने भी एल्युमिनी फण्ड में राशि जमा कराने की सहमति प्रदान की है।

(6) <u>वित्त समिति के विषय क्रमांक 12</u> गुलाब प्रदर्शनी प्रतिवर्ष देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आर.एन.टी. मार्ग हॉल में आयोजित करने की स्वीकृति के संबंध में – निर्णय लिया गया कि नियमानुसार किराया राशि वसूल की जावे। संबंधित संस्था के द्वारा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद सदस्यों/अधिकारियों को आमंत्रण–पत्र भेजा जाए।

(7) <u>वित्त समिति के विषय क्रमांक 13</u> विश्वविद्यालय खण्डवा रोड स्थित बॉटनीकल गार्डन राष्ट्रीय स्तर पर डेव्लप करने के संबंध में गठित समिति विश्वविद्यालय के नियमानुसार एम.ओ.यू. की शर्तें निर्धारित कर तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह भी निर्णय लिया गया कि गठित समिति के द्वारा किये गये कार्यो का समय–समय पर निरीक्षण कार्यपरिषद सदस्य डॉ. रवि वर्मा के द्वारा किया जाय तथा गठित समिति में डॉ. बी. के. त्रिपाठी, आय.आय. पी.एस. अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को भी सम्मिलित किया जाय एवं रोज सोसायटी को एम.ओ.यू. की शर्तो के अधीन कार्य प्रारंभ होने के बाद कन्सलटेन्सी की राशि 30,000/– पर प्रतिमाह स्वीकृति की जाय।

(कार्यवाही : वित्त विभाग)

विषय क्रं.5. <u>श्री मनीष सिंह राठौर के फर्जी प्रवेश के संबंध में शिकायत पर विचार।</u>

निर्णय लिया गया कि निदेशक, आई.आई.पी.एस. प्रकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जांच समिति को सौपे, तथा समिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही : निदेशक, आई.आई.पी.एस)

विषय क्रं.6 <u>श्री रोहित उज्जैनी, अधिवक्ता समन्वयक के कार्यकाल में वृद्धि विषयक।</u>

निर्णय लिया गया कि श्री रोहित उज्जैनी अधिवक्ता की सेवावधि में 02 वर्ष की वृद्धि प्रतिमाह मासिक मानदेय रुपए 12000/— पर ही की जाती है।

(कार्यवाही : प्रभारी विधि प्रकोष्ठ)

विषय क्रं.7 <u>डॉ. नवनीत कौर भाटिया, व्याख्याता, आई.आई.पी.एस के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति विषयक।</u>

निर्णय लिया कि डॉ. नवनीत कौर भाटिया, व्याख्याता, आई. आई.पी.एस. को दिनांक 4.1.2019 से दिनांक 26.6.2019 तक (कुल 173 दिन) के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाही : स्थापना विभाग)

विषय क्रं.8 स्ववित्त योजनांतर्गत नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी नियमित महिला कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना अनुसार संतान पालन अवकाश प्रदाय करने हेतु स्वीकृति विषयक।

बैठक में प्रकरण के संबंध चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि स्ववित्त योजनांतर्गत नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना अनुसार संतान पालन अवकाश प्रदाय करने हेतु परिनियम में कोई उल्लेख नहीं है, अतएव सर्वप्रथम परिनियम में संशोधन कराया जाए।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए :–

1. डॉ. व्ही.बी. गुप्ता — अध्यक्ष
   आचार्य एवं अध्यक्ष, डाटा साईन्स अध्ययनशाला
2. श्री दिलीप वर्मा — सदस्य
   वित्त नियंत्रक,
3. डॉ. रेखा आचार्य — सदस्य
   आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, तुलनात्मक भाषा अध्ययनशाला

उपर्युक्त समिति प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी, तदुपरांत प्रकरण आगामी कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही :– स्थापना विभाग)

विषय क्रं.9 <u>विश्वविद्यालय भवन समिति में कार्यपरिषद के दो सम्माननीय सदस्यों को नामांकित करने बावत्।</u>

निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की कंडिका – 33 के अनुसार विश्वविद्यालय भवन समिति में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद एवं अन्य से निम्नानुसार सदस्यों को भवन समिति में सदस्य मनोनीत किया जाता है :–

1. डॉ. अशोक शर्मा — सदस्य
   आचार्य एवं विभागाध्यक्ष रसायन अध्ययनशाला
   देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
2. श्री नईमुद्दीन एफ. कुरेशी
   आर्किटेक्ट — सदस्य
   118, टेलीफोन नगर, इन्दौर

(कार्यवाही : यांत्रिकी विभाग)

विषय क्रं.10 <u>विश्वविद्यालय बजट पार्ट–04 रिसर्च फण्ड से गोल्डन जुबली रिसर्च फलोशिप राशि प्रदान करने हेतु नियम विषयक।</u>

निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय बजट पार्ट–04 रिसर्च फण्ड से गोल्डन जुबली रिसर्च फलोशिप राशि प्रदान करने हेतु **Regulation for using Research Fund created in the University Budget under Part-IV** का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही : विकास विभाग)

विषय क्रं.11 **डॉ. अनिल कुमार, विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के पुनर्नियुक्ति विषयक।**

निर्णय लिया गया कि डॉ. अनिल कुमार विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला को गठित समिति की अनुशंसानुसार अध्यादेश क्रमांक 4 (सी) **CONTRACTUAL APPOINTMENT OF TEACHERS UNDER SELF FINANCE SCHEMES** के प्रावधानानुसार तीन वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाए। इनका वेतन अध्यादेश क्रमांक 4 (सी) के नियम 09 में दिये गये प्रावधानानुसार अंतिम वेतन मे से पेंशन घटाकर निर्धारित किया जाए।

चूंकि डॉ. अनिल कुमार ने पेंशन का विकल्प नहीं दिया है अतः इनकी अनुमानित पेंशन से गणना कर वेतन निर्धारित किया जाए।

(कार्यवाही : स्थापना विभाग)

विषय क्रं.12 **पीएच्.डी एवं डी.लिट् उपाधि प्रदान करने बावत कुलपतिजी द्वारा की गई कार्यवाही सूचनार्थ।**

निर्णय लिया गया कि शोधर्थियों की मौखिकी परीक्षा संतोषजनक होने एवं परीक्षकों द्वारा शोध उपाधि प्रदान किये जाने की अनुशंसानुसार शोधार्थियों को संबंधित विषय एवं संकाय में शोध उपाधि प्रदान किए जाने की माननीय कुलपतिजी द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

(कार्यवाही : गोपनीय विभाग)

विषय क्रं.13 **इन्दौर महाविद्यालय थांदला में प्राचार्य की नियुक्ति के अनुमोदन बावत्।**

निर्णय लिया गया कि प्रकरण आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही : प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.14 **विद्यासागर महाविद्यालय, इन्दौर में प्राचार्य की नियुक्ति के अनुमोदन बावत।**

निर्णय लिया गया कि प्रकरण आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही : प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.15 इन्दौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एवं रिसर्च इन्दौर में प्राचार्य की नियुक्ति के अनुमोदन बावत।

निर्णय लिया गया कि प्रकरण आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही : प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.16 सेंधवा शारीरिक शिक्षा संस्था ग्राम चाटली (सेंधवा) जिला बड़वानी में प्राचार्य की नियुक्ति के अनुमोदन बावत।

निर्णय लिया गया कि प्रकरण आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही : प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.17 रेवा गुर्जर बाल निकेतन महाविद्यालय, सनावद, जिला खरगोन में प्राचार्य की नियुक्ति के अनुमोदन बावत्।

निर्णय लिया गया कि अतएव प्रकरण आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही : प्रशासन विभाग)

विषय क्रं.18 इलेक्ट्रिक कार **TIGOR – ENERGY EFFICDIANCY SERVICE LIMITED** उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार लोधी रोड, नई दिल्ली से लीज रेन्ट पर प्राप्त करने विषयक।

निर्णय लिया गया कि इलेक्ट्रिक कार **TIGOR – ENERGY EFFICDIANCY SERVICE LIMITED** उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार लोधी रोड, नई दिल्ली से लीज रेन्ट पर प्राप्त करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाही : वाहन प्रभारी)

विषय क्रं.19 **Internal Quality Assurance Cell** की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन विषयक।

कार्यपरिषद द्वारा **Internal Quality Assurance Cell** की बैठक के कार्यवाही विवरण को अवलोकित करते हुए अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही : आई.क्यू.ऐ.सी सेल)

विषय क्रं.20. <u>माननीय कार्यपरिषद सदस्य श्री आलोक डावर द्वारा दिये गये सुझाव/प्रस्ताव पर विचार</u>।

बिन्दु क्रमांक 01 पर दिये गये प्रस्ताव पर अध्यक्ष की अनुमति से – परिषद में यह निर्णय लिया गया कि शेष रहे स्व–वित्तीय कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति/नियमितिकरण के संबंध में प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री विनय कुमार तायडे, उपकुलसचिव (स्थापना) के स्थान पर श्री प्रज्वल खरे, उपकुलसचिव (परीक्षा) को उक्त कार्य पूर्ण करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है, साथ ही इस कार्य हेतु गठित समितियों में श्री विनय कुमार तायडे के स्थान पर श्री प्रज्वल खरे उपकुलसचिव (परीक्षा) सदस्य रहेंगे।

श्री विनय कुमार तायड़े, उपकुलसचिव (स्थापना) प्रकरण से संबंधित अभिलेख/दस्तावेज/कागजात अविलंब श्री प्रज्वल खरे, उपकुलसचिव (परीक्षा) को सौंपे। स्थापना शाखा इस हेतु समन्वय का कार्य करेंगी।

(कार्यवाही – स्थापना विभाग)

बिन्दु क्रमांक 02 के संबंध में परिषद में यह निर्णय लिया गया कि डॉ. अशेष तिवारी लोक–उपयोगी अदालत में पहुंच कर माननीय न्यायाधीश महोदय के संज्ञान में लाये एवं नोट लिखवाएं कि निकट भविष्य में परीक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखे।

(कार्यवाही–परीक्षा/स्थापना विभाग)

बिन्दु क्रमांक 03 के संबंध में कार्यपरिषद के समक्ष रुसा सेल के प्रभारी एवं आचार्य/विभागाध्यक्ष डॉ. अभय कुमार, इलेक्ट्रॉनिक्स अध्ययनशाला ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों यथा – स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, स्कूल ऑफ एज्यूकेशन, स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स, स्कूल ऑफ कम्प्यूटर साइन्स एण्ड आई.टी., स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ई.एम.आर.सी, डाटा साईन्स एण्ड फारकॉस्टिंग एवं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्डीज, के विभिन्न प्रोजेक्टस् के संबंध में परिषद को अवगत कराया, साथ ही इस संबंध में भी प्रस्ताव भेजे गये है, उससे संबंधित अभिलेख/प्रस्ताव भी परिषद को प्रस्तुत किया गया।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर एवं राष्ट्र गान के साथ बैठक समाप्त की गई।

(कार्यवाही–इलैक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला)

हस्ता/–	हस्ता/–
(अजय वर्मा)	(डॉ. एन.के. धाकड़)
प्रभारी कुलसचिव/सचिव	कुलपति/अध्यक्ष